



2026:AHC:29756

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए सं. - 1937 सन् 2026

भोनु कुमार मौर्य
बनाम

....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: कैलाश प्रकाश पांडे
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश प्रकाश पांडे और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित होने वाले श्री विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 10.01.2011 को कांस्टेबल, वर्ष 2023 में हेड कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। हालाँकि, जबकि रिट याचिकाकर्ता वाराणसी में तैनात था, डीआईजी (कर्मिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा 15.06.2025 को रिट याचिकाकर्ता को वाराणसी से प्रयागराज स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया गया। हालाँकि, रिलीविंग ऑर्डर 10.11.2025 को पारित किया गया। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता को स्थानांतरित/राहत नहीं दी जानी चाहिए थी, विशेष रूप से, जिसमें दिनांक 06.05.2025 के सरकारी आदेश के अनुसार, एक सप्ताह की अवधि के भीतर राहत दी जानी है। उन्होंने आगे कहा कि 17.10.2025 को एक परिपत्र जारी किया गया है। इस न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जिसमें 14.05.2024 को तय की गई 2024 की विशेष अपील संख्या 481 भी शामिल है।
3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना स्थानांतरण को रद्द करने और आदेश को राहत देने के लिए है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता उक्त स्थिति पर विवाद नहीं कर सके, उनके अनुसार, शासकीय आदेश और परिपत्र प्रतिवादियों के लिए बाध्यकारी हैं। वह प्रस्तुत करता है कि रिट याचिकाकर्ता को उसके स्थानांतरण की तारीख से लेकर राहत मिलने तक बनाए रखने में कोई असाधारण कारण निर्धारित नहीं हैं। वह प्रस्तुत करता है कि आदेश को रद्द कर दिया जाए।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।
6. जाहिर है, स्थानांतरण आदेश 15.06.2025 को पारित किया गया था और रिट याचिकाकर्ता को 10.11.2025 के एक राहत आदेश के आधार पर राहत दी गई थी। एक बार जब प्रतिवादियों के परिपत्र होते हैं कि राहत 7 दिनों की अवधि के भीतर की जानी है, तो याचिकाकर्ता को उस संबंध में छुट्टी के तहत स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, यह मुद्दा अब पूर्णतः नहीं रह गया है क्योंकि 14.05.2024 को तय की गई 2024 की विशेष अनुमति संख्या 481 में यही निर्णय लिया गया है।
7. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकृत की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. प्रतिवादी संख्या 2 डीआईजी कार्मिक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 15.6.2025 के आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश और प्रतिवादी संख्या 3 पुलिस आयुक्त, वाराणसी द्वारा पारित परिणामी आदेश दिनांक 10.11.2025 को रद्द कर दिया जाता है, जहां तक यह रिट याचिकाकर्ता से संबंधित है।

9. प्रतिवादियों को एक नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी जाती है, यदि वे ऐसा चुनते हैं।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 11, 2026

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"